तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/259/2006/श्रीगंगानगर गुरबचन सिंह व अन्य बनाम सरवनसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
30.09.24	एकल–पीठ कमला अलारिया, सदस्य उपस्थित : श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थी अनुपस्थित –आदेश– यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर कैम्प पदमपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। पुनरीक्षण याचिका के अनुसार तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1/वादी ने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दौराने कार्यवाही प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का कथन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 31–12–2005 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस करते हुए कथन किया कि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का लेकर विवाद लम्बित है। दौराने वाद कार्यवाही वादग्रस्त भूमि के स्वरूप में परिवर्तित किये जाने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने की मांग इस आधार पर की गई थी कि प्रकरण का सही एंव प्रभावपूर्ण निस्तारण हो सके और कोई पक्ष प्रकरण की विषय वस्तु को खुर्द–बुर्द कर भौतिक स्थिति में बदलाव नहीं कर सके, इसके लिये न्यायहित में तहसीलदार को मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति के विपरीत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का असर निर्णय पर पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत् व्याख्या नहीं है क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 में जो पुलिया बनी हुई है उसे तोड़ दिया	

गया है एवं रास्ते मे डण्डे डालकर अवरोध पैदा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना चाहिए था। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है। लिहाजा प्रार्थी कर निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी के अनुसरण में आराजी जैर के बाबत् संबंधित तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने दोनों पक्षों को सुनकर मौका कमिश्नर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि वादगस्त संपति का स्थल निरीक्षण हेतु कमिश्नर की नियुक्ति करना न्यायालय के विवेकाधीन अधिकारों के अधीन है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आराजी जैर के संबंध में मौका कमिश्नर नियुक्त करने की मांग का मुख्य आधार यह लिया गया था कि वादग्रस्त भूमि के मौके पर मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 में जो पुलिया बनी हुई है उसे तोड़ दिया गया है तथा आवागमन हेतु रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। न्यायालय को यदि वादग्रस्त भूमि की स्थिति स्पष्ट करानी हो यथा वादग्रस्त भूमि पर खेती हो रही है या उसका किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग हो रहा है, वादग्रस्त भूमि पर मकान, कुआ आदि बने हुये हैं अथवा नहीं, वर्तमान में मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है अथवा नही, मौके की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है अथवा नहीं? आदि बिन्दुओं को स्पष्ट करवाने हेतु न्यायालय कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी की भौतिक स्थिति की वस्तुस्थिति की स्पष्ट जानकारी जोकि संबंधित तहसीलदार द्वारा मौके की जाँच के उपरान्त ही प्राप्त हो सकती थी। वैसे भी मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर किसी के पक्ष में किसी अधिकार या दायित्व का विनिश्चयन नहीं किया जा सकता है, अपितु मौके की भौगोलिक स्थिति की वास्तविक जानकारी हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश जारी किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई। लिहाजा प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणामतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर कैम्प पदमपुर का आक्षेपित आदेश दिनांक 31–12–2005 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, श्रीकरणपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि मौका कमिश्नर की रिपोर्ट कब्जे के सबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। अतः विवादित आराजी के किसी भी भाग पर किसी पक्षकार के कब्जे के सबंध में मौका कमिश्नर द्वारा की गई कोई टिप्पणी या रिपोर्ट पढे जाने योग्य नहीं होगी। आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर अधिवक्ता को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य